State Governments. The modalities for implementation are being worked out by a Committee headed by the Union Education Secretary.

कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन

7488. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कापीराइट बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया है, यदि हां, तो कब और उसके पुनर्गठन में विलम्ब क्यों हो रहा है; और

(ख) कापीराइट बोर्ड में कितने विवाद कितने समय से लम्बित पड़े हैं, इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए सरकार की क्या योजना है, और इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) कापीराइट बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1994 को समाप्त हो गया है। कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा कापीराइट अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए कापीराइट नियमों को तैयार करने के कारण बोर्ड का पुनर्गठन आस्थगित कर दिया गया था।

(ख) 30 अप्रैल, 1995 को कापीराइट बोर्ड के पास कापीराइट अधिनियम 1957 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत 109 मामले लंम्बित पड़े हुए थे। लंबित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	लंबित मामलों की संख्या
1977	1
1978	1
1979	1
1981	3
1982	1
1984	2
1985	5
1986	8
1987	5
1988	1
1989	6
1990	2
1991	6
1992	13
1993	15
1994	25
1995	14
(30-4-95 तक)	109

बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात देश के विभिन्न संबंधित अंचलों में बोर्ड की बैठकों में इस मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कलाकारों को पेंशन दिया जाना

7489. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के किन-किन साहित्यकारों को पेंशन दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) योजना के अधीन, कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सर्जनात्मक व्यक्ति, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो 58 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनकी आय 1000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, पृथक रूप से केन्द्रीय और केन्द्रीय राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटे के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय कोटा श्रेणी के अधीन चयनित कलाकारों के मामले में 1500/- रुपये प्रति माह की पूरी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों को जारी की जाती है। केन्द्रीय राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटा के अधीन चयनित कलाकारों को उपरोक्त सहायता केन्द्र और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा क्रमशः 2:1 के अनुपात में शेयर की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान साहित्य के क्षेत्र में 1500/- रुपये प्रति माह की दर पर 34 कलाकार यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 13 कलाकार केन्द्रीय राज्य/संघ शासित